न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भदेसर जिला चित्तौड़गढ़ राज0

पीठासीन अधिकारी– सुश्री अंजु शर्मा ,आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या– 07 / 2020 प्रार्थना पत्र

दिनांक 18.01.2021

अनवान

1. कालूराम पुत्र मोहनलाल नाई वयस्क निवासी कूथणा तहसील भदेसर

।। बनाम ।।

1. उंकार पुत्र गणेश मेहतर वयस्क निवासी कूथणा तहसील भदेसर
2. धन्ना पुत्र गणेश मेहतर वयस्क निवासी कूथणा तहसील भदेसर (नाम विलोपित किया गया)
3. छगन पुत्र गणेश मेहतर वयस्क निवासी कूथणा तहसील भदेसर
4. भगवान पुत्र गणेश मेहतर वयस्क निवासी कूथणा तहसील भदेसर
5. मोडी पत्नी गणेश मेहतर वयस्क निवासी कूथणा तहसील भदेसर
6. किशनलाल पुत्र रामचन्द्र मेहतर वयस्क निवासी कूथणा तहसील भदेसर
7. उदी पत्नी उदा जाट वयस्क निवासी कूथणा तहसील भदेसर मृतक के बजाय

   7/1 प्रेमी पुत्री उदा जाट वयस्क निवासी कूथणा तहसील भदेसर

   7/2 भगवान लाल पुत्र उदा जाट वयस्क निवासी कूथणा तहसील भदेसर

   7/3 भेरूलाल पुत्र उदा जाट वयस्क निवासी कूथणा तहसील भदेसर
8. भूमिधारी तहसीलदार भदेसर जिला चित्तौडगढ

.....विपक्षीगण

प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 251–ए राजस्थान का तकारी अधिनियम ,

उपस्थित– उमेश आगाल वकील प्रार्थीगण

उपखण्ड अधिकारी
भदेसर, जिला–चित्तौड़गढ

Signature Not Verified

Digitally signed by Anju Sharma
Date: 2021.03.04 15:21:53 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by TapScanner

हस्तगत प्रार्थना के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र राजस्थान सहकारी अधिनियम 1955 में जोडी गई नवीन धारा 251–ए के तहत इस आशय का प्रस्तुत किया –

1. यह कि प्रार्थी की खातेदारी कब्जे काश्त की आराजीयात वाके मौजा कूथना पटवारी हल्का कूथना तहसील भदेसर में स्थित है जिसके आराजी नमबर खाता संख्या 111 खसरा संख्या 576 रकबा 0.32 हैक्टेयर स्थित हे जिसमें प्रार्थी का 3/4 हक हिस्सा निहित है ।
2. यह कि प्रार्थना पत्र की कलम सख्या 1 में वर्णित कृषि आराजीयात संख्या 576 पर प्रार्थी काबिज होकर काश्त करता चला आ रहा है प्रार्थी की उक्त आराजीयात पर आने जाने का एक मात्र रारता आबादी आराजी नमबर 579 सम्पर्क सडक से जाता है व उससे आगे विपक्षीगण संख्या 1 से 6 की आराजी नम्बर 577 से होकर कई वर्षो से उक्त कदीमी रास्ते का उपयोग उपभोग कर रहें है लेकिन विगत 15 दिन पूर्व विपक्षीगण संख्या 1 से लगाकर 6 द्वारा उकत कदीमी रास्ता रिकार्ड में दर्ज नहीं है ऐसा कह कर उक्त कदीमी रास्ते को हांक दिया है व प्रार्थी की आबादी सडक से आगे प्रार्थी की कृषि आराजीयात पर जाने का कोई रास्ता नहीं है व उससे आगे जाने का रास्ता विपक्षी संख्या 1 से 6 तक की आराजी संख्या 577 से मिल सकता है जो पूर्व में कदीमी रास्ते के रूप मे उपयोग उपभोग के लिए प्रार्थी कर रहा था प्रार्थी की आराजी में जाने का अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं होने से प्रार्थी की आराजीयात पर आना जाना नहीं हो पा रहा है व आराजीयात के उपयोग उपभोग के लिए प्रार्थी कर रहा था प्रार्थी की आराजी में जाने का अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं होने से प्रार्थ्ज्ञी की आराजीयात पर आना जाना नहीं हो पा रहा है व आराजीयात के उपयोग उपभोग से प्रार्थी को वंचित होना पड रहा है और प्रार्थी को काफी आर्थिक हानि उठानी पड रही है ।

उपखण्ड अधिकारी भदेसर, जिला-चित्तौड़गढ़

उपखण्ड अधिकारी
भदेसर, जिला-चित्तौड़गढ़

Scanned by TapScanner
Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Sharma
Date: 2021.03.04 15:21:53 IST
Reason: SelfAttested

3. यह कि प्रार्थी उक्त आराजीयात पर जाने का अन्य कोई रास्ता नहीं है व रिकार्ड में भी अन्य कोइ रास्ता दर्ज नहीं है इस कारण प्राथ्र्ी अपनी आराजीयात पर आने जाने व फसल मवेशी आदि नहीं ले जा पा रहें है व उक्त आराजीयात में आने जाने के लिए विपक्षी संख्या 1 स 6 की आराजी नमबर 577 में से नजरी नक्शें में डोट द्वारा दर्शायी गई है वहां से ही वैकल्पिक रास्ता प्रार्थी को की आराजी हेतु नया रास्ता रिकार्ड में अंकन करवाया जावे ।

4. यह कि आराजी नमबर 577 में से ही प्रार्थी को वैकल्पिक रास्ता दिला कर विपक्षी संख्या 1 से 6 तक को उचित मुआवजा माननीय न्यायालय द्वारा तयशुद कीमत से दिलाते हुए उक्त रास्ते को रेकार्ड में अंकन किया जाना न्यायहित में न्यायोचित होकर आवश्यक हे ।

अतःप्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जावे । तथा विपक्षीगण की आराजी में से से रास्ता कायम कराया जाकर राजस्व रेकार्ड व नक्शे में दर्ज कराया जावें ।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। विपक्षीगण को तलब किया गया बरोज पेशी विपक्षी संख्या 1 व 3 लगायत 7/3 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने से उनके विरूद्व एक तरफा कार्यवाही किये जाने के आदेश पारीत किये गये । दौराने कार्यवाही विपक्षी संख्या 2 धन्नालाल की मृत्यु हो जाने से प्रार्थी द्वारा उसका नाम प्रार्थना पत्र से विलोपित कराये जाने का आवेदन प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि विपक्षी संख्या 2 धन्ना के वारिसान पूर्व से ही मुकदमा पक्षकार संस्थित हे इसलिए नाम विलोपित किया जाने की इस्तदुआ पर धन्ना विपक्षी संख्या 2 का नाम प्रार्थना पत्र से विलोपित किया गया ।।

न्याय निर्णय के बिन्दु तक पहुचने हेतु मौका एवं राजस्व रिकार्ड की वस्तुस्थिति को रिकार्ड पर लिये जाना उचित होने से तहसीलदार भदेसर को मौका कमीशनर नियुक्त जाकर मौका रिपोर्ट तलब की गई ।

उपखण्ड अधिकारी
भदेसर, जिला-चित्तौड़गढ

उपखण्ड अधिकारी भदेसर, जिला-चित्तौड़गढ़

Signature Not Verified
Digitally signed by Anju Sharma
Date: 2021.03.04 15:21:53 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by TapScanner

पेशकार सरकार व कमीशनर तहसीलदार भदेसर द्वारा न्यायालय हाजा मौका कमीशनरी रिपोर्ट जो कि भू0अ0नि0 भादरोडा व पटवारी हल्का कूथना द्वारा दिनांक 22.10.2020 को मुर्तिब की गई को उचित कार्यवाही हेतु अपने पत्र संख्या 28 दिनांक 15.01.2021 को अग्रेषित की गई । जिसमें वर्णित किया गया है कि – ग्राम कूथंना की आराजी नम्बर 576 रकबा 0.3200 हैक्टेयर प्रार्थी कालूराम नाई के नाम पर दर्ज है पर पहुंच मार्ग प्रस्तावित आराजी नम्बर 577 राजस्ता दर्ज नहीं है प्रार्थी की जोत पर वर्तमान में पहुंच मार्ग का अभाव है प्रस्तावित रास्ता आलौच्य आराजी पर निकटतम सुगम एवं सुविधाजनक मार्ग है । प्रार्थी की जोत पर पहुंच हेतु पूर्व से रिकोर्डेड रास्ता नहीं है प्रार्थी द्वारा स्थाई आवश्यकता हेतु नवीन रास्ते को कायम करवाना चाहता है । प्रार्थी की आराजी नम्बर 576 पर पहुचने हेतु प्रस्तावित रास्ता आराजी नम्बर 577 जो कि खातेदार उंकार पिता गणेश वगैर के नाम दर्ज है की दक्षिणी पश्चिमी मेड के साथ साथ चोडाई 3 मीटर तथा लम्बाई 7 मीटर कुल 21 वर्गमीटर में प्रस्तावित किया जाना उिचत है जिसे नक्शा ट्रेस में दर्शाया गया है । रास्ते हेतु प्रस्तावित भूमि की वर्तमान डी0एल0सी0 अनुसार राशि 78946/– रूप्ये प्रति बीघा होती है ।

विपक्षीगण द्वारा भी प्रत्युत्तर प्रस्तुत नहीं किया जाने से बहस सुनी गई । लायक अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया गया कि प्रार्थी की आराजीयात पर पहुंच मार्ग हेतु कोई रिर्कोडेड मार्ग नहीं है तथा विपक्षीगण की आराजीयात में से कदीम से आ जा रहें है इसके अतिरिक्त अन्य कोई विकल्प नहीं है । अतः प्रार्थी की आराजीयात पर पहुंच मार्ग हेतु कदीमी मार्ग को रास्ता के रूप में राजस्व रेकार्ड में दर्ज कराया जावें ।

पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व अभिलेख एवं कमीशनरी रिपोर्ट का अवलोकन से जाहिर है कि प्रार्थी की आराजी नम्बर 576 पर पहुंच मार्ग हेतु रिर्कोडेड मार्ग रिर्कोडेड मार्ग उपलब्ध नहीं होना प्रमाणित है तथा इस आराजीयात पर पहुंचने हेतु

उपखण्ड अधिकारी
भदेसर, जिला–चित्तौड़गढ़

Scanned by TapScanner
Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Sharma
Date: 2021.03.04 15:21:53 IST
Reason: SelfAttested

विपक्षीगण की आराजी नम्बर 577 में से होकर जाने का विकल्प के अतिरिक्त अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं है प्रार्थी आवागमन हेतु वास्तविक स्थाई रास्ता चाहते है ।

प्रस्तुत कमीशनरी रिपोर्ट के आधार पर प्रार्थीगण की जोत पर पंहुच मार्ग का अभाव होना पूर्णतया साबित है । राजस्व ग्रुप–6 विभाग राजस्थान सरकार के परिपत्र कमांक पं.2 (63) राज.9/20.14 जयपुर दिनांक 20–9–2014 एवं परिपत्र कमांक प.3(52) राज.6/2012/4 जयपुर दिनांक 14--1–2014 के अनुसरण में संबंधित खातेदार को अपनी आराजीयात /खेतों पर पहुंच के लिए रास्ता गुजरता है या नवीन रास्ता प्रस्तावित है तो रास्ते में आने वाली भूमि का राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के प्रावधानों के तहत समर्पण किया जाकर रास्ते का राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जाता है यदि ऐसे प्रस्तावित रास्ते के बीच में यदि कोई भूमि पडती है तो खातेदार अपनी जोत तक नया मार्ग कायमी हेतु राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251–क में प्रावधान किया गया है । खातेदार की जोत तक पहुंचने के लिए वैकल्पिक साधन का अभाव होने की स्थिति में राजस्थान स्टाम्प नियम 2014 के नियम 3 के उपनियम (1) के खण्ड (ख) के तहत गठित जिला स्तरीय समिति द्वारा सिफारिश की गई कृषि भूमि की दरों का दुगना प्रतिकर लिया जाकर रास्ता प्रदत्त किया जाने के प्रावधान किये गये हैं चूंकि हरतगत प्रकरण में प्रार्थी की आराजी नम्बर 576 पर पहुंचने के लिए विपक्षीगण की आराजी नम्बर 577 पडती है जिसके दक्षिणी पश्चिमी मेड के साथ साथ चोडाई 3 मीटर तथा लम्बाई 7 मीटर कुल 21 वर्गमीटर भूमि का रास्ते हेतु उपयोग होना तहसीलदार भदेसर द्वारा कमीशनरी रिपोर्ट में मार्ग प्रस्तावित किया गया है । उत्तरदाता की ओर से भी प्रकरण का खण्डन नहीं किए जाने से प्रार्थना पत्र के तथ्यों की पुष्टि होती है । अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य पाया जाता है ।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र 251–ए निम्न शर्तो के अध्यधीन स्वीकार किया जाता है –

1. ग्राम कूथंना पटवार हल्का कूथना की खसरा संख्या 576 रकबा 0.3200 हैक्टैयर भूमि पर पहुच मार्ग का अभाव होने से वैकल्पिक मार्ग के रूप में उक्त आराजी के पडोस की

उपखण्ड अधिकारी
भदेसर, जिला–चित्तौड़गढ़

उपखण्ड अधिकारी भदेसर

Signature Not Verified

Digitally signed by Anju Sharma
Date: 2021.03.04 15:21:53 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by TapScanner

आराजी नम्बर 577 की दक्षिणी पश्चिमी मेड के साथ साथ चोडाई 3 मीटर तथा लम्बाई 7 मीटर कुल 21 वर्गमीटर भूमि का रास्ता निर्म प्रकार कमीशनरी रिपोर्ट एवं नक्शें अनुसार अवाप्त की जाकर राजस्व रेकार्ड में सार्वजनिक रास्ता के रूप में दर्ज किये जाने का आदेश दिया जाता है । जिसे रास्ते हेतु अवाप्त की जाकर राजस्व रेकार्ड में रास्ता अंकित किया जावे ।

2. रास्ता हेतु रास्ते हेतु अवाप्त की जाने वाली 21 वर्गमीटर भूमि का वर्तमान प्रचलित बाजार दर 78946/- रूप्ये प्रति बीघा से मूल्यांकन तहसीलदार भदेसर द्वारा अपने स्तर पर आंकलन कर बनने वाली भूमि कीमत की दुगुनी राशि प्रार्थी से वसूल कर हितबद्व खातेदारान् को क्षतिपूर्ति राशि के रूप में नियमानुसार संदाय किये जाने के उपरान्त ही उक्त भूमि का राजस्व रेकार्ड में अमल किया जा सकेगा ।

3. रास्ता हेतु प्रयुक्त होने वाली भूमि पर प्रार्थी का एकाधिकार नहीं होकर सार्वजनिक हितार्थ होगा तथा इस संबंध में प्रार्थी को रास्ते की भूमि के स्वामित्व के अधिकार प्रोद्भूत नहीं होगें ।

निर्णय की प्रति पालनार्थ तहसीलदार भदेसर को उक्तानुसार रास्ते हेतु भूमि अवाप्त की जाकर राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद किया जाने प्रेषित की जावे । निर्णय खुले न्यायालय टंकित कराया जाकर सुनाया गया ।

(अंजु शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी
भदेसर, जिला चित्तौड़गढ़

Signature Not Verified
Digitally signed by Anju Sharma
Date: 2021.03.04 15:21:53 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by TapScanner